

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➤ जिला अलवर के कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम मुबारिकपुर तहसील रामगढ के दिनेश कुमार लाईन मैन द्वितीय व राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर को 5,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर दिनांक 17 नवम्बर, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भिवाडी ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी दिनेश कुमार हाल लाईन मैन द्वितीय कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर व राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर को 5,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया की ए.सी.बी. चौकी भिवाडी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि मेरे पिताजी के नाम करीब 03 वर्ष पूर्व श्री फेस कृषि कनेक्शन की पत्रावली सहायक अभियंता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर में लगाई थी। जिसका डिमाण्ड नोटिस करीब 10 माह पूर्व उक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया तो हमारे द्वारा डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करवाई गई। उक्त कनेक्शन के पेटे ट्रांसफार्मर की इण्डेन कटवाकर ट्रांसफार्मर देने की एवज में दिनेश कुमार लाईन मैन द्वितीय व वीरेन्द्र सिंह लाईन मैन द्वारा 6,000/- रुपये परिवादी से रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है। प्राप्त शिकायत पर दिनांक 14.11.2025 को गोपनीय मांग सत्यापन करवाया जाकर आज ब्यूरो की टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही की गई।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम श्री राजेश सिंह मुख्यालय जयपुर के सुपरवीजन में ए.सी.बी. ईकाई भिवाडी के उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण दिनेश कुमार लाईन मैन द्वितीय कार्यालय कनिष्ठ अभियंता व राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर को 5,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है।

आरोपिगण से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।